

क्रमांक : खअ/डूंगर/निविदा/2021-22/942


दिनांक : 27.08.2021

नीलामी विज्ञप्ति प्रकाशन 01/2021

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि डूंगरपुर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में अवैध खनन/निर्गमन चैकिंग अभियान के दौरान जप्तशुदा खनिज बजरी की नीलामी हेतु सीलबंद लिफाफे में दरें आमन्त्रित की जाती हैं, जिसका विवरण विभागीय वेब साइट www.mines.rajasthan.gov.in एवं कार्यालय नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध है। उक्त नीलामी में भाग लेने हेतु नीलामी प्रपत्र राशि रुपये 1000/- का डी.डी./बैंकर्स चैक " खनि अभियन्ता, डूंगरपुर" के नाम से जमा कराकर किसी भी कार्यदिवस में दिनांक 13 सितम्बर, 2021 (सांय 4:00 बजे) तक कार्यालय खनि अभियन्ता, डूंगरपुर से प्राप्त किये जा सकते हैं।

संबंधित थाना क्षेत्रों में जप्तशुदा खनिज बजरी हेतु सीलबंद लिफाफे में दरें दिनांक 13 सितम्बर, 2021 (सांयकाल 4:00 बजे) तक प्राप्त की जायेंगी। प्राप्त सीलबंद लिफाफे कमेटी द्वारा दिनांक 13 सितम्बर, 2021 को सांयकाल 5.00 बजे उपस्थित नीलामी दरदाताओं के समक्ष खोली जायेगी। नीलामी की शर्तें एवं विस्तृत जानकारी किसी भी दिवस में कार्यालय समय में नोटिस बोर्ड पर कभी भी देखी जा सकती है एवं नीलामी की जानकारी विभागीय वेबसाईट पर भी उपलब्ध रहेगी।

भवदीय



(नरेन्द्र खटीक)

खनि अभियन्ता, डूंगरपुर

नीलामी विज्ञापित प्रकाशन 01/2021

डूंगरपुर जिले में अवैध खनन/निर्गमन चैकिंग के दौरा जब्त शुदा खनिज बजरी की नीलामी हेतु सीलबंद लिफाफे में दरें दिनांक 13 सितम्बर, 2021 (सायंकाल 4:00 बजे) तक कार्यालय खनि अभियन्ता, डूंगरपुर, डूंगरपुर में आमन्त्रित की जाती हैं। प्राप्त सीलबंद लिफाफे कमेटी द्वारा दिनांक 13 सितम्बर, 2021 को सायंकाल 5.00 बजे उपस्थित नीलामी दरदाताओं के समक्ष कार्यालय के कमरे में खोली जायेगी, जिसका विवरण निम्नानुसार है -


(स्थानीय नदी-नालों की काली रेत/बजरी की न्यूनतम आरक्षित दर राशि 375/- रुपये प्रति टन)

क्र. सं.	स्थान का नाम जहां जप्त बजरी स्टॉक पड़ा हुआ है	बजरी की अनुमानित मात्रा (टनों में)	बोली की अमानत राशि	न्यूनतम बोली राशि (रुपये)
1.	ग्राम वान्दरवेड तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर में	591.00	22165/-	221650/-

नीलामी कार्यवाही हेतु शर्तें निम्नानुसार रहेंगी -

- निविदा सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी। लिफाफे पर स्पष्ट रूप से थाना क्षेत्र का नाम जहां बजरी पड़ी है, लिखा होना चाहिए। सभी निविदाएं कार्यालय खनि अभियन्ता, डूंगरपुर, पर रखे टेण्डर बॉक्स में दिनांक 13 सितम्बर, 2021 (सायंकाल 4:00 बजे) तक डाली जा सकेंगी।
- प्रत्येक निविदा के साथ उपर वर्णितानुसार बयाना/अमानत राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक जो कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता झालायाड़ के नाम हो, निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा। यदि कोई निविदादाता अलग-अलग थाना परिसर/पुलिस चौकी की बजरी के लिये निविदा प्रस्तुत करता है, तो बयाना/अमानत राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक भी अलग-अलग ही संलग्न करने होंगे।
- निविदा प्रपत्र के साथ इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा, कि निविदादाता या फर्म, फर्म के भागीदारों/कम्पनी, के निदेशकों या उसके परिवार के सदस्यों के विरुद्ध विभाग की कोई राशि बकाया नहीं है।
- जप्तशुदा बजरी की गुणवत्ता एवं मात्रा का निरीक्षण निविदा प्रस्तुत करने की तिथि से पूर्व किसी भी कार्यदिवस में संबंधित थाना परिसर में की जा सकती है।
- जप्तशुदा बजरी थाना परिसर में जैसी भी, जितनी भी, जहां भी है, उसी स्थिति में सफल निविदादाता को सुपुर्द की जावेगी।
- प्राप्त निविदाएं कमेटी द्वारा दिनांक 13 सितम्बर, 2021 को सायंकाल 5.00 बजे उपस्थित निविदादाता के समक्ष कार्यालय खनि अभियन्ता डूंगरपुर में खोली जावेगी एवं उच्चतम निविदादाता की घोषणा की जावेगी एवं उच्चतम निविदादाता को आदेश पत्र दिया जायेगा। आदेश प्राप्ति के 03 कार्यदिवस में सम्पूर्ण राशि जमा करानी होगी तथा राशि जमा होने की तिथि से 05 एवं अधिकतम 06 दिवस में समस्त बजरी उठानी होगी, अन्यथा जमा राशि जब्त करते हुये बजरी पुनः राजकीय पक्ष में ले ली जायेगी।
- निविदादाता को खनिज बजरी के स्टॉक को उठानेकी कार्यवाही (लोडिंग, अनलोडिंग, लेबर व परिवहन इत्यादि) अपने स्तर पर ही करनी होगी। इसमें विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- निविदादाता को एड्रेस प्रुफ, फोटो आईडी प्रुफ इत्यादि की प्रति, फर्म के मामले में फर्म का पंजीयन प्रमाण पत्र, भागीदारीनामा एवं मुख्यानामा यदि जारी किया हुआ हो तथा कम्पनी के प्रकरण में मेमोरेण्डम ऑफ आर्टिकल, निर्देशकों की सूची इत्यादि की प्रति साथ लाना होगा।
- निविदादाता को आयकर विभाग के पेन नम्बर की प्रति संलग्न करनी होगी।
- उच्चतम निविदादाता को बोली राशि के अलावा जीएसटी/टेक्स अतिरिक्त जमा कराना होगा।

11. नीलामी में प्राप्त निविदाओं को स्वीकार/अस्वीकार करने का अंतिम निर्णय करने निविदा कमेटी का होगा तथा निविदा से संबंध में यदि कोई उज्र/आपत्ति होने पर निर्णय करने से संबंधित समस्त सर्वाधिकार निदेशालय द्वारा गठित कमेटी के पास सुरक्षित होंगे।
12. सफल निविदादाता द्वारा सम्पूर्ण निविदा राशि जमा कराये जाने के उपरान्त कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता जालावाड़ द्वारा वाहन के वजन क्षमता अनुसार रवन्ना जारी की जायेगी तथा खनिज के परिवहन की स्वीकृति प्रदान की जायेगी। कोई भी वाहन बिना रवन्ना के निर्गमित नहीं किया जा सकेगा।
13. सफलतम बोलीदाता को परिवहन हेतु अवधि 05 दिवस सहित अधिकतम 08 दिवस ही अनुमत होगा।
14. 500 टन से अधिक खनिज बजरी को एक समय से कम से कम 10 वाहनों में विभागीय कार्मिक की उपस्थिति में भरकर व तुलवाकर ही परिवहन किया जा सकेगा। 500 टन से कम मात्रा के स्टॉक हेतु आवश्यक वाहनों की तदनुसार एक ही बार में व्यवस्था करनी होगी।
15. तुलाई के बाद वाहनों के निर्गमन से पूर्व उनका इन्द्राज विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक हेतु संधारित की जाने वाली स्टॉक पंजिका में किया जायेगा। स्टॉक के बैलेंस की गणना कर रजिस्टर की फोटो संबंधित खनि अभियन्ता, अधीक्षण खनि अभियन्ता एवं अधीक्षण खनि अभियन्ता (सर्तकता) को Whats App पर भेजने के पश्चात् ही खनिज निर्गमन की अनुमति होगी।
16. विभागीय कार्मिकों द्वारा नीलामी की गई बजरी के परिवहन में प्रयुक्त विभागीय रवन्ना वाहनों की फोटो एवं कम्प्यूटरीकृत/अधीकृत तुलायंत्र की वजन पर्ची, क्षेत्र के संबंधित उपर अंकित को Whats App पर भेजने के पश्चात् ही वाहनों को रवाना किया जा सकेगा।
17. नीलाम की गई बजरी का पुनः भण्डारण/परिवहन अनुमत नहीं होगा। सफलतम बोलीदाता बजरी सिक सीधे ही उपयोगिता स्थान पर परिवहन करेगा।
18. स्टॉक पर नियुक्त विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक की फोटो वाहनों की तोल पर्चियां एवं भरे हुए वाहन को फोटो तत्काल बिना किसी विलम्ब के संबंधित कार्यालय में प्रयुक्त की जायेगी।
19. प्रत्येक स्टॉक को नियम समय में नहीं हटाने पर विभाग पुनः नीलामी कर सकेगा और इस संबंध में सफल बोलीदाता को कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
20. सफल बोलीदाता द्वारा खनिज के निर्गमन हेतु उपयोग किये जाने वाले वाहनों के पंजीयन की प्रति एवं वाहन चालक के ड्राईविंग लाईसेंस की प्रति संबंधित कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी। खनिज का परिवहन उक्त वाहनों के अतिरिक्त अन्य वाहनों से अनुमत नहीं होगा।
21. खनिज के परिवहन हेतु विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक स्थल से प्रत्येक वाहन का मेन्यूअल रवन्ना जारी किया जायेगा।
22. खनिज के परिवहन में जीपीएस युक्त वाहनों को प्राथमिकता दी जायेगी।



(नरेन्द्र खट्टी)


खनि अभियन्ता डूंगरपुर

दिनांक : 27.08.2021

क्रमांक : खअ/डूंगर/निविदा/2021-22/344-951

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, जिला डूंगरपुर।
2. श्रीमान पुलिस अधीक्षण महोदय, जिला डूंगरपुर।
3. श्रीमान निदेशक महोदय, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर।
4. नोडल अधिकारी डीएमजीओएमएस निदेशालय खान एवं भू-विज्ञान विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
5. श्रीमान अतिरिक्त निदेशक (खान) महोदय, उदयपुर-जोन उदयपुर।
6. श्रीमान अधीक्षण खनि अभियन्ता महोदय, उदयपुर-वृत्त, उदयपुर।
7. श्रीमान सहायक निदेशक महोदय, सूचना एवं जन सम्पर्क कार्यालय डूंगरपुर।
8. कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय हाजा।



खनि अभियन्ता

डूंगरपुर